

रियायती कर दर व्यवस्था

हाल के सरकारी आँकड़ों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सितंबर 2019 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित रियायती कॉर्पोरेट कर की दर (Concessional Corporate Tax Rate) में वर्ष 2019-20 (अप्रैल-मार्च) में शामिल हर पाँच नई घरेलू वनिर्माण कंपनियों में से दो ने 15% कर की दर को कम करने के विकल्प को चुना है।

नगिम कर/कॉर्पोरेट कर:

- नगिम कर एक प्रत्यक्ष कर है जो किसी कंपनी की शुद्ध आय या उसके संचालन से हुए लाभ पर लगाया जाता है।
- कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में पंजीकृत सार्वजनिक और नज्दी दोनों कंपनियों द्वारा नगिम कर देय है।
- कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी की शुद्ध आय पर लगाया जाने वाला कर है, जबकि आयकर एक ऐसा कर है जो किसी व्यक्तिकी आय पर लगाया जाता है, जैसे कर्मिजूरी और वेतन।

रियायती कर दर व्यवस्था:

- **कर रियायत:** सरकार द्वारा उस कर की राशमें की गई कटौती या कर प्रणाली में बदलाव है जिसमें लोगों के एक विशेष समूह या वभिन्न संगठन भुगतान करते हैं, जिससे उन लोगों को लाभ होता है।
- सितंबर 2019 में शुरू की गई नई व्यवस्था के तहत नई नगिमति घरेलू कंपनियों के लिये धारा 115BAB के तहत 15% की कर दर की घोषणा की गई थी, जो 31 मार्च, 2023 तक ऐसे लेखों या नगिमति वस्तुओं के नगिमति, उत्पादन, अनुसंधान या वतिरण हेतु नए नविश करते हैं।
- इसे इस साल के बजट (2022-23) में एक वर्ष से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया गया है।
- केंद्र द्वारा व्यक्तगत आय करदाताओं के लिये प्रभावी वर्ष 2020-21 (आयकर अधिनियम) के लिये एक समान रियायती दर व्यवस्था की पेशकाश की गई थी, जिसके तहत वे धारा 80 सी, 80 डी, मकान करिया भत्ता और छुट्टी यात्रा भत्ता द्वारा आय पर कम दर पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकते हैं।
 - भले ही सरकार ने अभी तक नई व्यक्तगत आयकर व्यवस्था को चुनने वाले करदाताओं पर डेटा प्रकाशित नहीं किया है, लेकिन यह संकेत दिया गया है कि नई व्यवस्था बड़ी संख्या में करदाताओं को आकर्षित नहीं कर पाई है जिससे सरकार द्वारा फरि से इस पर वचिार करने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।

रियायती कर दर व्यवस्था का प्रभाव:

- कर कटौती के परिणामस्वरूप लाभार्थी फर्मों द्वारा आर्थिक रूप से सार्थक 7% अतिरिक्त नविश किया गया।
- **भारतीय रजिर्व बैंक** ने पहले यह सूचित किया था कि नई कर व्यवस्था ने इच्छित नविश चक्र को ककि-स्टार्ट करने में मदद नहीं की।
 - कर की दर में कटौती का उपयोग "व्यापार चक्र को फरि से शुरू करने के बजाय ऋण सेवा, नकद शेष राशि और अन्य मौजूदा परसिंपत्तियों के नगिमति में" किया जा सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस